[Type text]

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsgraj.org

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ESPIC/15/ 5724– 5912 दिनांक :– 08.03.2016

समस्त आयुक्त / अधिशाषीअधिकारी
नगर निगम / परिषद / पालिका,

विषय:-निकाय क्षेत्र मे रोड लाईट पांईट , स्विचिंग पैनल,फेज वायर एवं विद्युत मीटर की सूचना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऊर्जा बचत के लिये राजस्थान की निकाय क्षेत्रो मे Conventional Street Light को LED लाईटो मे बदलने की कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान कि 188 नगरीय निकायो मे से 134 नगरीय निकायो का MOU हस्ताक्षरित हो चुका है। राजस्थान की 19 नगरीय निकायो मे कार्य प्रगति पर है, इन निकाय क्षेत्र मे फेज वायर, स्विचिंग पैनल, विद्युत कनेक्सन(मीटर) अभाव मे EESL द्वारा प्रोजेक्ट लागू करने मे परेशानी हो रही है। कई निकायो द्वारा उपरोक्त सूचनाये नही भेजी गयी है तथा निर्धारित डाटा प्रपत्र मे नही दी गयी है, जिसके कारण ई.ई.एस.एल. द्वारा उन निकायो के लिये निविदाये आमंत्रित नही की जा सकती है।

इस प्रकार फेज वायर, विद्युत कनेक्शन तथा सूचनाओ के अभाव मे, एल.ई.डी. प्रोजेक्ट लागू करने मे विलम्ब हो रही है। सभी निकायो को " दिशा निर्देश परिपत्र" क्रमांक एफ 55( )Engg./CE/DLB/ESPIC/15/639 दिनांक 01.01.2016 व पत्र संख्या प 6 (ट) (127) लेखा /डी एल बी /बिबिन /सूचना /2010 /2394-24000 दिनांक 05.05.2015 के द्वारा भी निर्देशित किया जा चुका है। इसके उपरान्त भी कई निकायो द्वारा इस कार्य को गम्भीरता से नही लिया जा रहा है।

अतः सभी को पुनः आग्रह किया जा रहा है, कि सभी निकायो मे फेज वायर , क्षतिग्रस्त केबिल बदलने का कार्य , अर्थिगं आदि के कार्य करावे तथा जिन स्थानो पर विद्युत कनेक्सन नही है, वहाँ के लिये विद्युत निगमो से विधिवत कनेक्सन प्राप्त करके विद्युत मीटर लगवाये जावे। कार्य प्रगति रिपोर्ट संलग्न परफोर्मा मे दिनांक 10.03.2016 तक मेल द्वारा (espcdlbjp@gmail.com) भिजवाने का श्रम करे।

संलग्नः- परफोर्मा

Sd
(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:- एफ 55( )Engg./CE/DLB/ESPIC/15/639 5913– 5922 दिनांक:- 08.03.2016

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
3. उपनिदेशक, क्षेत्रिय जयपुर / बीकानेर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर / भरतपुर को भेजकर लेख है की उपरोक्त सूचनाओ हेतु अधीनस्थ निकायो को निर्देशित करे की सूचनाए सकंलित कर शीघ्र इस कार्यालय को प्रेशित करे।
4. रक्षित पत्रावली।

8/3/2016
(के.के.शर्मा)
मुख्य अभियंता